मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१६ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में अनुक्रमांक २० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :— **अनुसूची का संशोधन.**

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"२१.	जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय	जी.एच.आर. सन्स एज्यूकेशनल एंड मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन, 345, श्रद्धा हाउस, किंग्सवे, नागपुर	कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) की धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी	जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, मउजा ग्राम धोधाबोरगांव, ग्राम साईखेड़ा, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२२.	डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर.	डेली कालेज सोसाइटी १, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	डी. सी. विश्वविद्यालय 1, रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२३.	सिम्बायोसिस यूनीवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, इन्दौर	सिम्बायोसिस फाउन्डेशन, नई दिल्ली	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (१८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	सिम्बायोसिस यूनीवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, बड़ा बानगड्डा, तहसील हातोद, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश".

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक २ सन् २०१६) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालय, अर्थात्—जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, जिला छिन्दवाड़ा और डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर तथा सिम्बायोसिस यूनीवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, इन्दौर स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को एक आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा ९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो जाने पर उक्त अधिनियम की अनुसूची में उनके नाम और विशिष्टियों को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक २ सन् २०१६) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम, बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ जुलाई, २०१६

जयभान सिंह पवैया
भारसाधक सदस्य.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में दिये गये प्रावधान अनुसार विनियामक आयोग निजी संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है. आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार आशय पत्र जारी करती है. अधिनियम, २००७ की धारा ९ में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा निरीक्षण आदि की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त राज्य शासन की रिपोर्ट भेजी जाती है. उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त समाधान होने पर निजी विश्वविद्यालय का नाम एवं विवरण अधिनियम की अनुसूची में संशोधन कर जोड़ा जाता है.

नया अकादमिक सत्र जुलाई २०१६ से प्रारंभ हो रहा है और विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था. अतः उपरोक्तानुसार तीन निजी विश्वविद्यालय जी. एच. रायसोनी विश्वविद्यालय, ग्राम सांईखेड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं सिम्बायसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइन्सेज, इन्दौर स्थापित करने हेतु मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक २ सन् २०१६) प्रख्यापित किया गया था.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) से उद्धरण.

धारा - १ से ४३. * * * *

अनुसूची

[धारा ९(१) देखिए]

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
१.	जे. पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राघौगढ़, गुना (मध्यप्रदेश)	जयप्रकाश सेवा संस्थान न्यास, नई दिल्ली	रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास	जे.पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर राघौगढ़, जिला गुना (मध्यप्रदेश)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२.	आइसेक्ट विश्वविद्यालय, भोपाल	ऑल इण्डिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	आइसेक्ट विश्वविद्यालय, ग्राम-मेंडुआ, भोपाल-चिकलोद रोड, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३.	एमीटी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (क्रमांक २१ सन् १८६०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	एमीटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर	देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, सांवेर रोड, रेवती रेंज के सामने, जखया, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
५.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल	सार्वजनिक जनकल्याण परमार्थिक न्यास, भोपाल	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास	पीपुल्स विश्वविद्यालय, पीपुल्स ग्रुप, बाय-पास रोड, भानपुर, भोपाल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
६.	आई.टी.एम. युनिवर्सिटी, ग्वालियर	समता लोक संस्थान, ट्रस्ट, ग्वालियर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	आई.टी.एम. युनिवर्सिटी परिसर, एन.एच. ७५ झांसी रोड, सिंथौली, ग्वालियर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
७.	रामकृष्ण धर्मार्थ युनिवर्सिटी, भोपाल	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, भोपाल	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	रामकृष्ण धर्मार्थ युनिवर्सिटी, आर.जी.पी.व्ही. परिसर, एयरपोर्ट बायपास के पास, गोंदरमऊ, गांधी नगर, भोपाल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
८.	स्वामी विवेकानंद युनिवर्सिटी, सागर	प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सागर	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, एन.एच.-२६ ग्राम-सिरोंजा, सागर (म. प्र.)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
९.	ए.के.एस. युनिवर्सिटी, सतना	ए.के.एस. चेरिटबल ट्रस्ट, सतना	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास	ए.के.एस. युनिवर्सिटी, शेरगंज, पन्ना रोड, सतना, सतना (म. प्र.)	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१०.	टेक्नो-ग्लोबल विश्वविद्यालय, सिरोंज, जिला-विदिशा	टेक्नो इंडिया ट्रस्ट, कोलकाता	भारतीय न्यास अधिनियम, १९८२ (१९८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास	टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, सिरोंज, जिला-विदिशा	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
११.	जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय, भोपाल	जागरण सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत-मुंगालिया छाप, तहसील-हुजूर भोपाल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१२.	श्री सत्यसांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, भोपाल	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	श्री सत्यसांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१३.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल	आर.के.डी.एफ. एजुकेशन सोसायटी, 202 गंगा-जमना काम्पलेक्स, जोन-1 एम.पी. नगर, भोपाल	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, एन.एच. 12, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१४.	एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय, भोपाल	एच.के. कल्चुरी एजुकेशन ट्रस्ट, 31-श्यामला हिल्स, भारत भवन रोड़, भोपाल	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोकन्यास	एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय, जे. के. टाउन, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड़ भोपाल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१५.	श्री वैष्णव विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, इन्दौर	श्री वैष्णव विद्यापीठ, ट्रस्ट श्री वैष्णव विद्या परिसर, 177 जवाहर मार्ग, साउथ राज मोहल्ला, इन्दौर	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	श्री वैष्णव विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर ग्राम बारोली, सांवेर रोड, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१६.	पी. के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी	सोनल एजुकेशन सोसायटी, ग्राम तेहरा, हाथरस रोड़, पोस्ट सोनई जिला मथुरा, उ. प्र.	सोसायटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, १८६० (सन् १८६० का २१ के अधीन रजिस्ट्रीकृत	पी. के. विश्वविद्यालय, ग्राम थानरा, तहसील करैरा, एन.एच.-25 शिवपुरी	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१७.	मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर	भंवरलाल नाहटा स्मृति संस्थान, महू-नीमच रोड, भंवरलाल नाहटा मार्ग, मंदसौर	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५१ (क्र. ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत	मंदसौर विश्वविद्यालय, बायपास स्क्वायर, रेवास देवड़ा रोड, मंदसौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१८.	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, इन्दौर	मेडीकेप्स चेरिटेबल ट्रस्ट, २०१, पुष्परत्न पैराडाइज, ९/५ न्यू पलासिया, इन्दौर	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५१ (क्र. ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, ए. बी. रोड, पिग्दाम्बर राउ, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१९.	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर	आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, २०२ गंगा-जमुना काम्पलेक्स, जोन-१, एम.पी. नगर, भोपाल	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर-देवास बायपास रोड, ग्राम अरण्डिया, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२०.	मालवांचल विश्वविद्यालय, इन्दौर	मयंक्स वेलफेयर सोसायटी १०४ त्रिशूल अपार्टमेंट, ५, सांघी कॉलोनी, ए. बी. रोड, इन्दौर	म. प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत	मालवांचल विश्वविद्यालय, एनएच-५९-ए, नेमावर रोड, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.